रजिस्ट्री सं॰ डी॰-221 REGISTERED NO. D.-221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 2— अनुभाग 1क
PART II — Section 1A
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 2] नई दिल्ली, गुरुवार, 25 मई, 2017/4 ज्येष्ठ, 1939 (शक) [खंड LIII
NO. 2] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 25, 2017/JYAISTHA 4, 1939 (SAKA) [VOL. LIII

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 25 मई, 2017/4 ज्येष्ठ, 1939 (शक)

दि कोल माइन्स (स्पेशल प्रोवीजन्स) ऐक्ट, 2015; (2) दि जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रन) ऐक्ट, 2015; (3) दि ब्यूरो आफ इंडियन स्टैण्डर्ड्स ऐक्ट, 2016; (4) दि आधार (टार्गेटड डिलीवरी आफ फाइनेंशियल एंड अदर सबसिडीज, बेनिफिट्स एंड सर्विसेस) ऐक्ट, 2016; (5) दि डा॰ राजेन्द्र प्रसाद सेंट्रल एग्रिकल्चरल यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 2016; (6) दि चाइल्ड लेबर (प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2016; (7) दि कम्पन्सेटरी एफारेस्टेशन फंड ऐक्ट, 2016; (8) दि टेक्सेशन लाज (सेकेंड अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2016; और (9) दि पेमेंट आफ वेजेस (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2017; के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे:—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, May 25, 2017/*Jyaistha* 4, 1939 (*Saka*)

The translation in Hindi of the following, namely:— The Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015; (2) The Juvenile Justice (Care And Protection of Children) Act, 2015; (3) The Bureau of Indian Standards Act, 2016; (4) The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016; (5) The Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016; (6) The Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016; (7) The Compensatory Afforestation Fund Act, 2016; (8) The Taxation Laws (Second Amendment) Act, 2016 and (9) The Payment of Wages (Amendment) Act, 2017 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

पृष्ठ

कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 11) 237
The Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का अधिनियम संख्यांक 2) 269
The Juvenile Justice (Care And Protection of Children) Act, 2015

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 11) 319
The Bureau of Indian Standards Act, 2016

आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 337
(2016 का अधिनियम संख्यांक 18)
The Aadhar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016

डा॰ राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 32) 357
The Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016

बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 35) 391
The Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016

प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 38) 397
The Compensatory Afforestation Fund Act, 2016

कराधान विधि (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 48) 415
The Taxation Laws (Second Amendment) Act, 2016

मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 1) 423
The Payment of Wages (Amendment) Act, 2017

कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015

(2015 का अधिनियम संख्यांक 11)

[30 मार्च, 2015]

कोयला खनन संक्रियाओं और कोयला उत्पादन में निरंतरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से सफल बोली लगाने वालों को और आबंटितियों को कोयला खानों के आबंटन और खनन पट्टों के साथ भूमि और खान अवसंरचना में और उस पर के अधिकार, हक और हित को निहित करने का तथा राष्ट्रीय हित में देश की आवश्यकता के अनुरूप कोयला संसाधनों के अधिकतम उपयोग का संवर्धन करने का और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

उच्चतम न्यायालय ने तारीख 24 सितंबर, 2014 के अपने आदेश के साथ पठित तारीख 25 अगस्त, 2014 के निर्णय द्वारा कोयला खंडों का आबंटन रद्द कर दिया है और ऐसे कोयला खंडों के विषय में निदेश जारी किए हैं तथा केंद्रीय सरकार को उक्त निदेशों के अनुसरण में उक्त आदेश को कार्यान्वित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी है;

और केंद्रीय सरकार के लिए देश की ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और इस्पात, सीमेंट और विद्युत उपयोगिताओं जैसे कोर सेक्टरों पर, जो राष्ट्र के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, किसी भी समाघात को कम करने के लिए सफल बोली लगाने वालों का और आबंटितियों को कोयला खानों का आबंटन करने हेतु लोकहित में तुरंत कार्रवाई करना समीचीन है;

और संसद्, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 54 के अधीन, खानों और खनिज विकास का विनियमन करने के लिए उस सीमा तक, जिस तक संघ के नियंत्रणाधीन ऐसे विनियमन और विकास को संसद् द्वारा विधि द्वारा, लोकहित में समीचीन घोषित किया जाए, विधान बनाने के लिए सक्षम है;

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह 21 अक्तूबर, 2014 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

संघ कार्रवाई की समीचीनता की घोषणा।

2. इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि संघ द्वारा अनुकूलतम उपयोग के लिए अनुसूची 1 कोयला खानों के विकास और सतत आधार पर कोयला निकालने की कार्रवाई की जानी चाहिए।

परिभाषाएं।

3. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) ''अतिरिक्त उद्ग्रहण'' से उच्चतम न्यायालय द्वारा 2012 की रिट याचिका (दांडिक) संख्या 120 द्वारा निकाले गए कोयले पर दो सौ पचानवे रुपए प्रति मीटरी टन के रूप में यथा अवधारित अतिरिक्त उद्ग्रहण अभिप्रेत होगा;

(ख) ''आबंटन आदेश'' से धारा 5 के अधीन जारी आबंटन आदेश अभिप्रेत है;

(ग) उच्चतम न्यायालय द्वारा 2012 की रिट याचिका (दांडिक) संख्या 120 में तारीख 24 सितंबर, 2014 को पारित आदेश के अनुसरण में ''नियत तारीख'',—

(i) अनुसूची 1 कोयला खानों के संबंध में अनुसूची 2 कोयला खानों को छोड़कर, 24 सितंबर, 2014 होगी, यह वह तारीख है जिसको पूर्विक आबंटितियों को कोयला खंडों का आबंटन रद्द हुआ था; और

(ii) अनुसूची 2 कोयला खानों के संबंध में, 1 अप्रैल, 2015 होगी, यह वह तारीख है जिसको पूर्विक आबंटितियों को कोयला खंडों का आबंटन रद्द हो जाएगा;

(घ) ''बैंक'' का वही अर्थ होगा, जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में है; 2002 का 54

(ङ) ''कोयला खनन संक्रियाओं'' से कोयला लब्ध करने के प्रयोजन के लिए की गई कोई संक्रिया अभिप्रेत है;

(च) ''कंपनी'' का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में है; 2013 का 18

(छ) ''निगम'' का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (11) में है; 2013 का 18

(ज) ''वित्तीय संस्था'' का वही अर्थ होगा, जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (ड) में है; 2002 का 54

(झ) ''सरकारी कंपनी'' का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) में है; 2013 का 18

(ञ) ''खान अवसंरचना'' के अंतर्गत खनन अवसंरचना भी है, जैसे कोयला खनन संक्रियाओं के लिए प्रयुक्त मूर्त आस्तियां, अर्थात् सिविल संकर्म, कर्मशालाएं, कोयला प्राप्त करने के स्थावर

उपस्कर, प्रतिष्ठान, तटबंध, पटरियां, विद्युत प्रणालियां, संचार प्रणालियां, राहत केंद्र, स्थल प्रशासनिक कार्यालय, स्थिर प्रतिष्ठापन, कोयला हथालन प्रबंध, पिसाई और प्रवहण प्रणालियां, रेल साइडिंग, गड्ढे, कूपक, आनति, भूमिगत परिवहन प्रणालियां, सिंचाई प्रणालियां (जंगम उपस्कर के सिवाय, जब तक वह उसके स्थायी लाभप्रद उपभोग के लिए भूमि में गड़ा न हुआ हो), वनरोपण के लिए सीमांकित भूमि और कोयला खनन संक्रियाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के सुसंगत विधि के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए भूमि;

(ट) ''नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी'' से धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ठ) '' अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ड) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ढ) ''पूर्विक आबंटिती'' से अनुसूची 1 कोयला खानों का जैसी उसमें सूचीबद्ध हैं, पूर्विक आबंटिती अभिप्रेत है, जिसे 1993 और 31 मार्च, 2011 के बीच कोयला खानें आबंटित की गई थी, जिसके आबंटन उच्चतम न्यायालय के तारीख 25 अगस्त, 2014 के निर्णय और उसके तारीख 24 सितंबर, 2014 के आदेश के अनुसरण में रद्द कर दिए गए हैं, जिनके अंतर्गत वे आबंटन भी हैं, जिनका 2012 की रिट याचिका (दांडिक) संख्या 120 के पूर्व और उसके लंबित रहने के दौरान आबंटन निष्प्रभाव कर दिया गया हो;

स्पष्टीकरण—उस दशा में, जब अनुसूची 1 कोयला खानों के ऐसे आबंटन के पश्चात् कोई खनन पट्टा किसी तीसरे पक्षकार के पक्ष में निष्पादित किया गया है, तीसरा पक्षकार पूर्विक आबंटिती समझा जाएगा;

(ण) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(त) ''अनुसूची 1 कोयला खानों'' से अभिप्रेत है,—

(i) ऐसी सभी कोयला खानें और कोयला खंड जिनका आबंटन 2012 की रिट याचिका (दांडिक) संख्या 120 में तारीख 25 अगस्त, 2014 के निर्णय और उसके तारीख 24 सितंबर, 2014 को पारित आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत वे आबंटन भी हैं, जिनका उक्त रिट याचिका के पूर्व और उसके लंबित रहने के दौरान आबंटन निष्प्रभाव कर दिया गया हो;

(ii) पूर्विक आबंटिती द्वारा अर्जित सभी कोयला धारक भूमि और पूर्विक आबंटिती द्वारा कोयला खनन संक्रियाओं के लिए प्रयुक्त कोयला खानों में या उसके पार्श्वस्थ अर्जित भूमि;

(iii) खंड (ञ) में यथा परिभाषित कोई भी विद्यमान खान अवसंरचना;

(थ) ''अनुसूची 2 कोयला खानों'' से अनुसूची 2 में सूचीबद्ध ऐसी बयालीस अनुसूची 1 कोयला खानें अभिप्रेत हैं, जो ऐसी कोयला खानें हैं, जिनके संबंध में उच्चतम न्यायालय का तारीख 24 सितंबर, 2014 का आदेश किया गया था;

(द) ''अनुसूची 3 कोयला खानों'' से अनुसूची 3 में सूचीबद्ध ऐसी बत्तीस अनुसूची 1 कोयला खानें या ऐसी कोई अन्य अनुसूची 1 कोयला खानें अभिप्रेत हैं, जो धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित की जाएं;

(ध) ''प्रतिभूत लेनदार'' का वही अर्थ होगा, जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और
2002 का 54 पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (यघ) में है;

(न) ''प्रतिभूत ऋण'' का वही अर्थ होगा, जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन
2002 का 54 तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (यङ) में है;

(प) ''प्रतिभूति हित'' का वही अर्थ होगा, जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन
2002 का 54 तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (यच) में है;

(फ) ''विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग'' से निम्नलिखित में से कोई अंतिम उपयोग अभिप्रेत है:—

(i) लौह और इस्पात का उत्पादन;

(ii) विद्युत उत्पादन, जिसके अंतर्गत स्थैतिक उपयोग के लिए विद्युत उत्पादन भी है;

(iii) किसी खान से अभिप्राप्त कोयले का धावन;

(iv) सीमेंट;

(v) ऐसा अन्य अंतिम उपयोग, जिसे केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे,

और ''विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोक्ता'' पद का, उसके व्याकरणिक रूपभेदों सहित, तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ब) ''निधान आदेश'' से धारा 8 के अधीन किया गया निधान आदेश अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों का, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 जिनके अंतर्गत उनके अधीन बनाए गए कोई नियम या विनियम भी हैं, में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो इन अधिनियमों में क्रमश: उनका है।

1957 का 20
1957 का 67
1973 का 26

अध्याय 2

नीलामी और आबंटन

नीलामी में भाग लेने की पात्रता और फीस का संदाय।

4. (1) धारा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अनुसूची 1 कोयला खानें, ऐसे नियमों के अनुसार और पांच करोड़ रुपए से अधिक की ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, लोक नीलामी द्वारा आबंटित की जाएंगी।

(2) इस धारा की उपधारा (3) और धारा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार, ऐसे क्षेत्र की बाबत, जिसमें कोयला हो, भूमीक्षण अनुकरण, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा मंजूर करने के प्रयोजन के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो विहित की जाएं, प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से, निम्नलिखित कंपनियों में से किसी का चयन कर सकेगी,—

(क) कोई सरकारी कंपनी या निगम या यथास्थिति, ऐसी कंपनी या निगम द्वारा या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के बीच बनाई गई कोई सह-उद्यम कंपनी या भारत में निगमित कोई अन्य कंपनी; या

(ख) दो या अधिक कंपनियों द्वारा बनाई गई कोई कंपनी या कोई सह-उद्यम कंपनी जो भारत में कोयला खनन संक्रियाएं, यथास्थिति अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अनुसार किसी भी रूप में स्वयं के उपभोग, विक्रय के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए चला रही है और राज्य सरकार ऐसी कंपनी को जिसका इस धारा के अधीन प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से स्वयं के लिए चयन किया जाए, ऐसे किसी क्षेत्र की बाबत, जिसमें कोयला हो, ऐसा भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा मंजूर करेगी।

(3) धारा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित व्यक्ति, जो ऐसे मानकों को, जो विहित किए जाएं, पूरा करते हैं, अनुसूची 2 कोयला खानों और अनुसूची 3 कोयला खानों की किसी नीलामी में बोली लगाने और उनके सफल बोली लगाने वाले होने की दशा में कोयला खनन संक्रियाओं में लगने के पात्र होंगे, अर्थात्:—

(क) विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग में लगी कोई कंपनी, जिसके अंतर्गत ऐसी कंपनी भी है, जिसके पास ऐसा कोयला अनुबंध है जिसने ऐसा विनिधान किया है, जो विहित किया जाए।

स्पष्टीकरण—''कोयला अनुबंध वाली कंपनी'' के अंतर्गत ऐसी कोई कंपनी है, जिसका आवेदन इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को केन्द्रीय सरकार के पास लंबित है;

(ख) सामान्य विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग वाली और इस अधिनियम के अनुसार बोली लगाने के लिए स्वतंत्र रूप से पात्र दो या अधिक कंपनियों द्वारा बनाई गई कोई सह-उद्यम कंपनी;

(ग) कोई सरकारी कंपनी या निगम या ऐसी कंपनी या निगम द्वारा या सामान्य विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग वाली किसी अन्य कंपनी के साथ बनाई गई कोई सह-उद्यम कंपनी:

परंतु उपधारा (2) में अंतर्विष्ट कोई बात इस उपधारा को लागू नहीं होगी।

(4) कोई पूर्विक आबंटिती अतिरिक्त उद्ग्रहण ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, संदाय करके नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने का पात्र होगा और यदि पूर्विक आबंटिती ने ऐसे उद्ग्रहण का संदाय नहीं किया है तो पूर्विक आबंटिती, उसका संप्रवर्तक या ऐसे पूर्विक आबंटिती की कोई भी कंपनी, स्वयं या किसी सह-उद्यम के रूप में बोली लगाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

(5) कोई ऐसा पूर्विक आबंटिती, जो कोयला खंड आबंटन से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध और तीन वर्ष से अधिक के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, नीलामी में भाग लेने का पात्र नहीं होगा।

सरकारी कंपनियों या निगमों को खानों का आबंटन।

5. (1) धारा 4 की उपधारा (1) और उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंधों के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार किसी सरकारी कंपनी या निगम को अथवा दो या अधिक सरकारी कंपनियों या निगमों के बीच किसी सह-उद्यम को या किसी ऐसी कंपनी को, जिसे ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, कोई आबंटन आदेश करके, विनिर्दिष्ट अनुसूची 1 कोयला खानों से टैरिफ के लिए प्रतिस्पर्धी बोलियों के आधार पर, कोई विद्युत परियोजना (जिसके अंतर्गत अति वृहत् विद्युत परियोजनाएं भी हैं) प्रदान की गई है, कोई अनुसूची 1 कोयला खान आबंटित कर सकेगी और राज्य सरकार, ऐसी कंपनी या निगम को किसी ऐसे क्षेत्र की बाबत, जिसमें कोयला है, भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा मंजूर करेगी:

परंतु सरकारी कंपनी या निगम, यथास्थिति, अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अनुसार किसी भी रूप में स्वयं के उपभोग के लिए, विक्रय के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए कोयला खनन कर सकेगा:

परंतु यह और कि सरकारी कंपनी या निगम से भिन्न कोई कंपनी, सरकारी कंपनी या निगम अथवा सरकारी कंपनी या निगम के बीच सह-उद्यम में प्रत्यक्षत: या अपनी समनुषंगी कंपनी या सहयुक्त कंपनी के माध्यम से छब्बीस प्रतिशत से अधिक समादत्त शेयर पूंजी धारित नहीं करेगी:

परंतु यह भी कि किन्हीं दो या अधिक सरकारी कंपनियों या निगमों का कोई सह-उद्यम, किसी बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण या उधार लेने के सिवाय, सह-उद्यम में किसी भी प्रकृति के हित का, जिसके अंतर्गत किसी तृतीय पक्षकार के पक्ष में स्वामित्व भी है, अन्य संक्रांत या अंतरित करने से प्रतिषिद्ध होगा।

(2) यदि किसी पूर्विक आबंटिती ने विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अतिरिक्त उद्ग्रहण का संदाय नहीं किया है तो उस आंबटिती को उपधारा (1) के अधीन कोई आबंटन नहीं किया जाएगा।

केंद्रीय सरकार का नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के माध्यम से कार्य करना।

6. (1) केन्द्रीय सरकार ऐसे किसी अधिकारी को जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के लिए और उसकी ओर से कार्य करेगा तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विहित की जाएं।

(2) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी नीलामी के संचालन और अनुसूची 1 कोयला खानों के संबंध में निधान आदेश का आबंटन आदेश तैयार करने के लिए प्राधिकारी को सिफारिशें करने के लिए ऐसी अर्हताएं और अनुभव रखने वाले तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विहित की जाएं, किसी विशेषज्ञ को नियोजित कर सकेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के माध्यम से कार्य करेगी, अर्थात्:—

(क) विशेषज्ञों की सहायता से नीलामी प्रक्रिया का संचालन और आबंटन;

(ख) नीलामी के अनुसरण में अनुसूची 1 कोयला खानों के अंतरण और निहित किए जाने संबंधी निधान आदेश का निष्पादन;

(ग) धारा 5 के अनुसरण में किसी सरकारी कंपनी या निगम के लिए आबंटन आदेश का निष्पादन करना;

(घ) अमूर्त अधिकारों को चाहे वे किसी भी प्रकृति के हों, जिनके अंतर्गत सहमति, अनुज्ञा, अनुज्ञापत्र, अनुमोदन, मंजूरी, रजिस्ट्रीकरण भी हैं, लेखबद्ध किया जाना और नामांतरण;

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नीलामी आगमों का संग्रहण, अधिमानी संदायों का समायोजन और ऐसी संबंधित राज्य सरकारों को जहां अनुसूची 1 कोयला खान अवस्थित है, रकम का अंतरण।

(4) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अनुसूची 1 कोयला खानों की नीलामी ऐसे समय के भीतर और ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, पूरी करेगा या उनके आबंटन आदेशों का निष्पादन करेगा।

(5) केन्द्रीय सरकार नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी की सहायता के लिए ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारिवृंद की नियुक्ति कर सकेगी जो वह ठीक समझे।

(6) इस धारा के अधीन नियुक्त नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी और ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारिवृंद के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।

(7) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी नीति विषयक प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए निदेश द्वारा आबद्ध होगा।

केंद्रीय सरकार द्वारा कतिपय अनुसूची 1 कोयला खानों का वर्गीकरण करने की शक्ति।

7. (1) केन्द्रीय सरकार, नीलामी की विशिष्टियां अधिसूचित करने के पूर्व अनुसूची 1 कोयला खानों से पहचान की गई उन खानों का वर्गीकरण करेगी, जो विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग के उसी वर्ग के लिए चिह्नित की गई हैं।

(2) केन्द्रीय सरकार, लोक हित में, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग के प्रयोजनों के लिए अनुसूची 3 कोयला खानों को, उसमें किसी अन्य अनुसूची 1 कोयला खान को जोड़कर उपांतरित कर सकेगी।

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निधान आदेश या आबंटन आदेश का जारी किया जाना।

8. (1) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अनुसूची 1 कोयला खानों के पूर्विक आबंटितियों को, ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, नीलाम की जाने वाली अनुसूची 1 कोयला खानों की विशिष्टियां अधिसूचित करने के लिए अपेक्षित सूचना देने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए अधिसूचित करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी जाने वाली अपेक्षित सूचना, ऐसी सूचना की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर दी जाएगी।

(3) प्रतियोगी आधार पर ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, संचालित किसी नीलामी में सफल बोली लगाने वाला ऐसी अनुसूची 1 कोयला खान के जिसके लिए उसने बोली लगाई है, ऐसे नियमों के अनुसार तैयार किए गए निधान आदेश के अनुसरण में विहित किए जाने का हकदार होगा।

(4) निधान आदेश से, सफल बोली लगाने वाले को निम्नलिखित अंतरित किया जाएगा और उसमें निहित होगा, अर्थात्:—

(क) सुसंगत नीलामी से संबंधित अनुसूची 1 कोयला खान में पूर्विक आबंटिती के सभी अधिकार, हक और हित;

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले किसी खनन पट्टे की हकदारी;

(ग) अनुसूची 1 कोयला खानों में, कोयला खान संक्रियाएं आरंभ करने के लिए अपेक्षित कोई भी कानूनी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञा, अनुमोदन या सहमति यदि वह पूर्विक आबंटिती को पहले ही जारी की जा चुकी है;

(घ) पूर्विक आबंटिती की अनुमोदित खनन योजना से संलग्न अधिकार;

(ङ) ऐसा कोई भी अधिकार, हक या हित जो खंड (क) से खंड (घ) के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से समाविष्ट नहीं किया गया है।

(5) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, निम्नतम मूल्य या आरक्षित कीमत अवधारित करेगा।

(6) सफल बोली लगाने वाला निधान आदेश के जारी किए जाने और उसके निष्पादन के पूर्व, ऐसी बोली लगाने वाले को नीलाम की गई अनुसूची 1 कोयला खान के संबंध में यथा अधिसूचित किसी रकम के लिए कार्यपालन बैंक प्रत्याभूति ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से देगा, जो विहित की जाए।

(7) इस धारा के अधीन निधान आदेश के जारी किए जाने और केन्द्रीय सरकार के पास तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पदाभिहित समुचित प्राधिकारी के पास उसके फाइल किए जाने के पश्चात्, सफल बोली लगाने वाला बाधा या प्रतिबाधा के बिना अनुसूची 1 कोयला खान का कब्जा लेने का हकदार होगा।

(8) निधान आदेश के निष्पादन पर, अनुसूची 1 कोयला खान की सफल बोली लगाने वाले को संबंधित राज्य सरकार द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अनुसार यथा लागू, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा मंजूर किया जाएगा। (1957 का 67)

(9) किसी सरकारी कम्पनी या निगम या यथास्थिति ऐसी कंपनी या निगम द्वारा या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के बीच बनाई गई किसी सह-उद्यम कंपनी को या भारत में निगमित ऐसी किसी अन्य कंपनी को जिसे अनुसूची 1 कोयला खान आबंटित की गई हो, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अनुसार, यथा लागू, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा मंजूर किया जाएगा। (1957 का 67)

(10) अनुसूची 2 कोयला खानों के संबंध में, सफल बोली लगाने वाला, जो पूर्विक आबंटिती था, निधान आदेश दिए जाने पर, अनुमोदित खनन योजना के निबंधनों के अनुसार नियत तारीख के पश्चात् उपधारा (8) के निबंधनों के अनुसार खनन पट्टा मंजूर किए जाने तक, कोयला खनन संक्रियाएं जारी रखेगा और उस सीमा तक सफल बोली लगाने वाले को उक्त उपधारा के निबंधनों के अनुसार खनन पट्टे के निष्पादन तक खनन पट्टा मंजूर किया गया समझा जाएगा।

(11) अनुसूची 2 कोयला खानों के संबंध में ऐसी सरकारी कंपनी या निगम, जो पूर्विक आबंटिती था तथा आबंटन आदेश के निष्पादन पर अनुमोदित खनन योजना के निबंधनों के अनुसार, नियत तारीख के पश्चात् उपधारा (9) के निबंधनों के अनुसार खनन पट्टा मंजूर किए जाने तक, कोयला खनन संक्रियाएं जारी रख सकेगा और उस सीमा तक सफल बोली लगाने वाले को उक्त उपधारा के निबंधनों के अनुसार खनन पट्टे के निष्पादन तक खनन पट्टा मंजूर किया गया समझा जाएगा।

(12) इस धारा की उपधारा (1) और उपधारा (2) और उपधारा (4) से उपधारा (7) (जिसमें दोनों सम्मिलित है) के उपबंध, जैसे वे किसी निधान आदेश को लागू हैं, यथावश्यक परिवर्तनों सहित आबंटन आदेश को भी लागू होंगे।

आगमों के संवितरण की पूर्विकता।

9. अनुसूची 1 कोयला खान के संबंध में भूमि और खान अवसंरचना से उद्भूत होने वाले आगम, अन्य बातों के साथ-साथ, सुसंगत विधियों और ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, संदायों की पूर्विकता बनाए रखते हुए संवितरित किए जाएंगे,—

(क) अनुसूची 1 कोयला खान के संबंध में प्रतिभूत ऋण के किसी भाग के लिए प्रतिभूत लेनदारों को ऐसा संदाय, जो निधान आदेश की तारीख तक असंदत्त है;

(ख) पूर्विक आबंटिती को अनुसूची 1 कोयला खान की बाबत संदेय प्रतिकर।

अध्याय 3

पूर्विक आबंटितियों के अधिकार और बाध्यताओं का निरूपण

कोयला खनन संक्रियाओं में प्रयुक्त जंगम संपत्ति का उपयोग।

10. (1) अनुसूची 1 कोयला खानों की बाबत सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती कोयला खनन संक्रियाओं में प्रयुक्त ऐसी जंगम संपत्ति का ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जिन पर वे पारस्परिक रूप से सहमत हों, स्वामित्व लेने या उपयोग करने के लिए पूर्विक आबंटिती के साथ बातचीत कर सकेगा।

(2) जहां सफल बोली लगाने वाले या आबंटिती में अनुसूची 1 कोयला खान की कोई जंगम संपत्ति निहित नहीं की गई है, वहां वह ऐसे स्वामित्व या संविदात्मक अधिकारों, बाध्यताओं या दायित्वों से उद्भूत किन्हीं दायित्वों या बाध्यताओं से आबद्धकर नहीं है जो कि पूर्विक आबंटिती की ही बनी रहेगी।

(3) उस दशा में जब सफल बोली लगाने वाला व्यक्ति या आबंटिती, पूर्विक आबंटिती या ऐसे तृतीय पक्षकार के साथ, जिसने जंगम संपत्ति के लिए पूर्विक आबंटिती के साथ संविदा की है, समाधानप्रद रूप से बातचीत करने में असमर्थ है, पूर्विक आबंटिती या तृतीय पक्षकार की यह बाध्यता होगी कि वे, यथास्थिति, निधान आदेश या आबंटन आदेश की तारीख से तीस दिन से अनधिक अवधि के भीतर ऐसी जंगम संपत्ति को हटाएं और सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती ऐसी संपत्ति को हुए किसी नुकसान के लिए दायी नहीं होगा।

(4) सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती, जिसने उपधारा (1) में निर्दिष्ट जंगम संपत्ति को क्रय या अंतरित न करने अथवा उसका उपयोग जारी न रखने का चयन किया है, यथास्थिति, निधान आदेश या आबंटन आदेश के निष्पादन के पूर्व नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को यह घोषित करेगा कि उसका आशय पूर्विक आबंटिती या ऐसे तृतीय पक्षकार की ऐसी जंगम संपत्ति को ले जाने और भंडार करने का है तथा, यथास्थिति, निधान आदेश या आबंटन आदेश की तारीख के पश्चात् सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती ऐसी जंगम संपत्ति को इस प्रकार ले जाने और भंडार करने का हकदार होगा जिससे कि कोयला खनन संक्रियाओं में कोई अड़चन पैदा न हो।

(5) यदि पूर्विक आबंटिती या ऐसा तृतीय पक्षकार, जिसने पूर्विक आबंटिती के साथ जंगम संपत्ति के लिए कोई संविदा की है, ऐसी जंगम संपत्ति को हटाने में असफल रहता है जिसका सफल बोली लगाने वाले या आबंटिती ने उपधारा (4) के अनुसार क्रय या उपयोग न करने का चयन किया है तो, यथास्थिति, निधान आदेश या आबंटन आदेश से पचहत्तर दिन की अवधि के पश्चात् सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती ऐसी जंगम संपत्ति का व्ययन करने का हकदार होगा जो अनुसूची 1 कोयला खान के भीतर भौतिक रूप से अवस्थित है, उस दशा में सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती ऐसी व्ययन की गई जंगम संपत्ति के विक्रय आगमों को उस जंगम संपत्ति को हटाने, उसका भंडारण, विक्रय या व्ययन करने के लिए सफल बोली लगाने वाले द्वारा या आबंटिती द्वारा उपगत किसी खर्च का संदाय करने के लिए ऐसी जंगम संपत्ति के विक्रय आगमों पर प्रथम भार के रूप में विनियोजित करने का हकदार होगा :

परंतु सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती द्वारा खर्चे को विनियोजित करने के पश्चात्, शेष विक्रय आगमों का ऐसे किसी प्रतिकर के मद्दे, जो ऐसी विक्रीत जंगम संपत्ति के स्वामी को संदेय हो, ऐसी जंगम संपत्ति के प्रति हक के सिद्ध करने पर, केंद्रीय सरकार को ऐसे नियमों के अनुसार संदाय किया जाएगा जो विहित किए जाएं:

परंतु, यह और कि यदि पूर्विक आबंटिती का कोई तृतीय पक्षीय संविदाकार ऐसी जंगम संपत्ति का स्वामी है, तो ऐसा तृतीय पक्षकार इस उपधारा के अनुसार विक्रीत जंगम संपत्ति के विक्रय आगमों से प्रतिकर ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, प्राप्त करने के लिए अपने अधिकार को साबित करने का हकदार होगा।

पूर्विक आबंटितियों के साथ तृतीय पक्षकार संविदाओं का निर्वहन या अंगीकरण।

11. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, बोली लगाने वाला कोई सफल व्यक्ति या आबंटिती अनुसूची 1 कोयला खानों की बाबत ऐसी संविदाओं को, जो कोयला खनन संक्रियाओं के संबंध में किसी पूर्विक आबंटिती के साथ विद्यमान हों, अंगीकार करने या जारी रखने का चयन कर सकेगा और वह ऐसी संविदा की अवशिष्ट अवधि या अवशिष्ट कार्यपालन के लिए नवीकरण के रूप में होगा :

परंतु ऐसी दशा में सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती या पूर्विक आबंटिती सफल बोली लगाने वाले द्वारा अंगीकृत किन्हीं संविदाओं के निहित किए जाने को सम्मिलित करने के लिए नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा।

(2) यदि सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती ऐसी विद्यमान संविदाओं को जो पूर्विक आबंटितियों द्वारा तृतीय पक्षकारों के साथ की गई थीं, अंगीकार न करने या जारी न रखने का चयन करता है, तो उस दशा में ऐसी सभी संविदाएं जो अंगीकृत नहीं की गई हैं या जारी नहीं रखी गई हैं, अनुसूची 1 कोयला खानों के संबंध में सफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध या आबंटिती के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं रह जाएंगी और ऐसे संविदा करनेवाले पक्षकारों का उपचार पूर्विक आबंटितियों के विरुद्ध होगा।

12. (1) पूर्विक आबंटितियों के ऐसे प्रतिभूत लेनदार, जो अनुसूची 1 कोयला खान की भूमि या खान अवसंरचना के किसी भाग में कोई प्रतिभूति हित रखते थे, निम्नलिखित के हकदार होंगे— प्रतिभूत लेनदारों के संबंध में उपबंध।

(क) पूर्विक आबंटिती के साथ सुविधा करारों और प्रतिभूति हित को जारी रखना, यदि ऐसा पूर्विक आबंटिती सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती है; और

(ख) यदि पूर्विक आबंटिती सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती नहीं है, तब ऐसे प्रतिभूत लेनदार के प्रतिभूति हित को ऐसे पूर्विक आबंटिती को केवल संदेय प्रतिकर में से ही उस सीमा तक पूरा किया जाएगा जो ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, अवधारित की जाए और बकाया ऋण पूर्विक आबंटिती से वसूलीय होगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, धारा 9 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर विचार करते हुए, उस रीति को विहित करेगी जिसमें प्रतिभूत लेनदार को किसी पूर्विक आबंटिती की बाबत प्रतिकर में से संदाय किया जाएगा।

13. किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्था या किसी अन्य प्रतिभूत उधार देने वाले द्वारा यथा रजिस्ट्रीकृत भूमि और खान अवसंरचना में किसी रजिस्ट्रीकृत प्रतिभूति हित और उस पर के किसी भार के सिवाय, किसी पूर्विक आबंटिती द्वारा 25 अगस्त, 2014 के पश्चात् भूमि और खान अवसंरचना का किया गया कोई भी और सभी अन्य संक्रामण तथा उन पर किन्हीं विल्लंगमों का, चाहे किसी भी प्रकृति के हों सृजन, जो अनुसूची 1 कोयला खानों से संबंधित है, शून्य होगा। शून्य अन्य-संक्रामण और अनुज्ञात प्रतिभूति हित।

14. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व, यथास्थिति, सफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध या आबंटिती के विरुद्ध या अनुसूची 1 की कोयला खानों की बाबत भूमि और खान अवसंरचना के विरुद्ध कुर्की, करस्थम्, रिसीवरशिप, निष्पादन या वैसे ही धन की वसूली किसी प्रतिभूति या गारंटी का प्रवर्तन के लिए वाद, कोई कार्यवाहियां, आदेश (इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय) नहीं होंगे या उन पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और उनके विरुद्ध कोई उपचार नहीं होगा। पूर्विक आबंटितियों के दायित्व।

(2) उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट कार्यवाहियां पूर्विक आबंटिती के विरुद्ध वैयक्तिक उपचार के रूप में जारी रहेंगी किंतु वे अनुसूची 1 कोयला खान की भूमि या खान अवसंरचना या सफल बोली लगाने वाले या आबंटिती के विरुद्ध इस अधिनियम के अनुसरण में कायम या जारी नहीं रहेंगी।

(3) निधान आदेश या आबंटन आदेश से किसी पूर्ववर्ती अवधि की बाबत अनुसूची 1 कोयला खान के संबंध में किसी पूर्विक आबंटिती का प्रत्येक दायित्व ऐसे पूर्विक आबंटिती का दायित्व होगा और उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा न कि सफल बोली लगाने वाले या आबंटिती या केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध।

(4) सभी अप्रतिभूत ऋण पूर्विक आबंटिती के दायित्व बने रहेंगे।

(5) अनुसूची 2 कोयला खानों के पूर्विक आबंटितियों के विरुद्ध अधिरोपित अतिरिक्त उद्ग्रहण ऐसे पूर्विक आबंटितियों का दायित्व बना रहेगा और ऐसे अतिरिक्त उद्ग्रहण का संग्रहण केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए।

(6) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि—

(क) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सफल बोली लगाने वाले या आबंटिती के विरुद्ध यथास्थिति, निधान आदेश या आबंटन आदेश की तारीख से पूर्ववर्ती किसी अवधि की बाबत अनुसूची 1 कोयला खान के संबंध में मजदूरी, बोनस, स्वामिस्व रेट, भाटक, कर, भविष्य निधि, पेंशन, उपदान या किसी अन्य शोध्यों के लिए कोई दावा प्रवर्तनीय नहीं होगा;

(ख) किसी अनुसूची 1 कोयला खान के संबंध में, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व अनुसूची 1 कोयला खानों की भूमि और खान अवसंरचना के संबंध में, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण का कोई अधिनिर्णय, डिक्री, कुर्की या आदेश, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सफल बोली लगाने वाले या आबंटिती के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा;

(ग) यथास्थिति, निधान आदेश या आबंटन आदेश की तारीख से पूर्व किसी कार्य या लोप से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबंध के उल्लंघन के लिए कोई दायित्व, यथास्थिति, सफल बोली लगाने वाले या आबंटिती या केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा।

संदाय आयुक्त का नियुक्त किया जाना और उसकी शक्तियां।

15. (1) केन्द्रीय सरकार, अनुसूची 1 कोयला खानों के पूर्विक आबंटितियों को संदेय रकमों का संवितरण करने के प्रयोजनों के लिए ऐसे अधिकारी को, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, संदाय आयुक्त के रूप में नियुक्त करेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, आयुक्त की सहायता करने के लिए उतने अन्य अधिकारियों और कर्मचारिवृंद की नियुक्ति कर सकेगी जितने वह उचित समझे और तदुपरि आयुक्त इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी या किन्हीं शक्तियों का भी प्रयोग करने के लिए एक या अधिक ऐसे अधिकारियों को प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) आयुक्त द्वारा किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी उन शक्तियों का उसी रीति में और उसी प्रभाव से प्रयोग कर सकेगा मानो इस अधिनियम द्वारा, उसे सीधे प्रदत्त की गई हों न कि किसी प्राधिकार द्वारा।

(4) इस धारा के अधीन नियुक्त आयुक्त और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृंद के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

(5) केन्द्रीय सरकार उस तारीख से, जो अधिसूचित की जाए, तीस दिन की अवधि के भीतर आयुक्त को, पूर्विक आबंटिती को संदाय करने के लिए नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अवधारित प्रतिकर की रकम के बराबर रकम का संदाय करेगी।

(6) आयुक्त द्वारा ऐसी प्रत्येक अनुसूची 1 कोयला खान की बाबत, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन उसे संदाय किया गया है, पृथक् अभिलेख रखे जाएंगे।

पूर्विक आबंटिती को संदाय के लिए प्रतिकर का मूल्यांकन।

16. (1) अनुसूची 1 कोयला खानों के संबंध में भूमि के लिए प्रतिकर की मात्रा, ऐसे क्रय या अर्जन की तारीख से, यथास्थिति, निधान-आदेश या आबंटन आदेश के निष्पादन की तारीख तक बारह प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ, ऐसे नियमों के अनुसार जो विहित किए जाएं, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास निविष्ट रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख के अनुसार होगी।

(2) अनुसूची 1 कोयला खानों के संबंध में, खान अवसंरचना के लिए प्रतिकर की मात्रा का अवधारण, ऐसे नियमों के अनुसार और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के कानूनी रूप से संपरीक्षित तुलनपत्र में दिए गए अवलिखित मूल्य के अनुसार किया जाएगा।

(3) यदि सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती अनुसूची 1 कोयला खानों में से किसी कोयला खान का पूर्विक आबंटिती है, तो ऐसे सफल बोली लगाने वाले या आबंटिती को संदेय प्रतिकर का अनुसूची 1 कोयला खानों में से किसी कोयला खान के लिए यथास्थिति, ऐसे सफल बोली लगाने वाले या आबंटिती द्वारा संदेय नीलामी राशि या आबंटन राशि में से मुजरा या समायोजन किया जाएगा।

(4) पूर्विक आबंटिती अतिरिक्त उद्ग्रहण का संदाय प्रतिकर का हकदार किए जाने पर ही होगा अन्यथा नहीं।

अध्याय 4

नियत तारीख के पश्चात् केन्द्रीय सरकार की शक्तियां

नियत तारीख के पश्चात् केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व।

17. (1) नियत तारीख से ही, केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन कंपनी को, ऐसी प्रत्येक अनुसूची 2 कोयला खानों के संबंध में, जिसकी बाबत इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है, राज्य सरकार को ऐसा पट्टाधारी या अनुज्ञप्तिधारी समझा जाएगा, मानो ऐसी कोयला खान के संबंध में खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन किसी कंपनी को दी गई थी और ऐसे पट्टे या अनुज्ञप्ति की अवधि ऐसी अधिकतम अवधि होगी, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा खनिज छूट नियम, 1960 के अधीन ऐसा पट्टा या अनुज्ञप्ति दी जा सकती थी और तब ऐसे खनन पट्टे के अधीन सभी अधिकार जिसके अंतर्गत सतह पर के भूतल के नीचे के और

अन्य अधिकार भी हैं, केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन किसी कंपनी को अंतरित और उसमें निहित हुए समझे जाएंगे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी पट्टे या अनुज्ञप्ति की अवधि की समाप्ति पर, ऐसे पट्टे या अनुज्ञप्ति का राज्य सरकार द्वारा, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से उतनी अधिकतम अवधि के लिए नवीकरण किया जाएगा, जितनी अवधि के लिए ऐसे पट्टे या अनुज्ञप्ति का खनिज छूट नियम, 1960 के अधीन नवीकरण किया जा सकता है।

(3) जैसा कि लोकहित में तथा ऐसी कठिन स्थिति, जो उद्भूत हुई है, को ध्यान में रखते हुए यह समीचीन
1957 का 67 और आवश्यक समझा गया है कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अधीन अनुसूची 1 कोयला खानों के संबंध में, किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे को समय पूर्व समाप्त करने की राज्य सरकार की शक्तियां इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या ऐसी अन्य अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, निलंबित हो जाएंगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिहित अभिरक्षक को नियुक्त किया जाना।

18. (1) नियत तारीख से ही यदि अनुसूची 1 कोयला खानों की नीलामी या आबंटन पूरा नहीं होता है तो केन्द्रीय सरकार, ऐसी कोयला खानों के जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, प्रबंध और प्रचालन के लिए किसी व्यक्ति की अभिहित अभिरक्षक के रूप में नियुक्ति करेगी।

(2) अभिहित अभिरक्षक, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित कोयला खानों की बाबत, केन्द्रीय सरकार के लिए और उसकी ओर से अनुसूची 1 कोयला खानों के प्रबंध और प्रचालन के लिए ऐसी रीति में जो अधिसूचित की जाए, धारा 8 के साथ पठित धारा 4 और धारा 5 के अधीन ऐसी कोयला खानों की, यथास्थिति, नीलामी या आबंटन पूरा होने तक कार्य करेगा।

अनुसूची 2 कोयला खानों की बाबत अभिहित अभिरक्षक की शक्तियां और कृत्य।

19. (1) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अभिहित अभिरक्षक, केन्द्रीय सरकार की ओर से ऐसी सभी भूमि का जो अनुसूची 2 कोयला खानों में या उसके पार्श्वस्थ में है और जिसका उपयोग अनुसूची 2 कोयला खान के संबंध में कोयला खनन संक्रियाओं और खान अवसंरचना के लिए नियंत्रण और कब्जे में लेने का हकदार होगा।

(2) अभिहित अभिरक्षक नियत तारीख के ठीक पहले पूर्विक आबंटियों या अनुसूची 2 कोयला खानों और कोयला खनन संक्रियाओं के प्रबंध के भारसाधक किन्हीं अन्य व्यक्तियों को कोयला खनन संक्रियाओं और कोयला के उत्पादन की निरन्तरता सुनिश्चित करने के लिए ऐसी अपेक्षित जनशक्ति जो आवश्यक हो, उपलब्ध कराने का निदेश दे सकेगा।

(3) अभिहित अभिरक्षक सभी अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित करते हुए अनुसूची 2 कोयला खानों को देय किन्हीं धनराशियों को, ऐसे मामलों के होते हुए भी प्राप्त करेगा, जहां ऐसी प्राप्ति नियत तारीख से पूर्व किसी समय किए गए संव्यवहार से संबंधित है।

(4) पदाभिहित अभिरक्षक, अनुसूची 2 कोयला खानों और कोयला खनन संक्रियाओं के संबंध में ऐसे किसी व्यक्ति या सभी व्यक्तियों से, जो नियत तारीख से पूर्व अनुसूची से पूर्व अनुसूची 2 कोयला खानों के प्रबंधन और प्रचालन के प्रभारी थे, किसी सूचना, अभिलेखों और दस्तावेजों को मंगा सकेगा और ऐसे व्यक्ति पदाभिहित अभिरक्षक को उनकी अभिरक्षा में अनुसूची 2 कोयला खानों से संबंधित ऐसे दस्तावेज परिदत्त करने के लिए आबद्धकर होंगे।

(5) पदाभिहित अभिरक्षक, अनुसूची 2 कोयला खानों के प्रबंध और प्रचालन के संबंध में उतने परामर्शियों या विशेषज्ञों की नियुक्ति कर सकेगा जितने वह आवश्यक समझे।

(6) पदाभिहित अभिरक्षक, अनुसूची 2 कोयला खानों का प्रबंध और प्रचालन ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति में अंतरित कर सकेगा, जो विहित की जाए।

(7) अभिहित अभिरक्षक को धारा 18 के अधीन उसे न्यस्त की गईं कोयला खानों की बाबत किसी पूर्विक आबंटिती या किसी सफल बोली लगाने वाले के रूप में अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं होंगी जिनका ऐसी रीति में प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा, जो विहित की जाए।

(8) पदाभिहित अभिरक्षक को ऐसे अन्य कृत्य करने की शक्ति होगी जो इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट कृत्यों के पारिणामिक या आनुषंगिक हैं।

(9) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अभिहित अभिरक्षक, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग या कृत्यों के निर्वहन करने में नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आबद्ध होगा, जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर उसे लिखित में दे।

अध्याय 5

कतिपय ठहराव

केन्द्रीय सरकार की कतिपय ठहरावों का अनुमोदन करने की शक्ति।

20. (1) कोई सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती या कोयला अनुबंध-धारक, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से और ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, यथास्थिति, अन्य सफल बोली लगाने वाले या आबंटिती या कोयला अनुबंध-धारक के साथ, लोकहित में और लागत दक्षता प्राप्त करने के लिए समान अंतिम उपयोग हेतु कोयला खान के अधिकतम उपयोग के लिए कतिपय करार या ठहराव करने का हकदार होगा।

(2) सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, किसी विशिष्ट अनुसूची 1 कोयला खान से सामान्य विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग में लगे हुए उसके किन्हीं संयंत्रों के लिए भी कोयला खान का उपयोग कर सकेगा।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

भूमि का अर्जन।

21. (1) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अधीन अनुसूची 1 कोयला खानों के संबंध में सभी विद्यमान भूमि अर्जन कार्यवाहियां ऐसे भूमि क्षेत्रों की बाबत उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जारी रहेंगी। 2013 का 30

(2) ऐसे सभी भूमि क्षेत्रों पर, जो भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अधीन कोयला खानों के संबंध में भूमि अर्जन कार्यवाहियों की विषय -वस्तु नहीं है, केन्द्रीय सरकार द्वारा कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के निबंधनों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी। 2013 का 30 1957 का 20

(3) ऐसी राज्य सरकारें, जिन्होंने भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन भूमि अर्जन कार्यवाहियां आरंभ कर दी हैं और ऐसी सभी भूमियां जो अनुसूची 1 कोयला खानों की बाबत उक्त अधिनियम की भी विषय-वस्तु हैं— 2013 का 30

(क) पूर्विक आबंटितियों को ऐसी किसी भूमि का अंतरण नहीं करेंगी जिसे उक्त अधिनियम के अधीन अर्जित किया गया है;

(ख) नियत तारीख तक भूमि अर्जन कार्यवाहियां जारी रखेंगी;

(ग) ऐसी अनुसूची 1 कोयला खानों के लिए जो नियत तारीख तक, यथास्थिति, सफल बोली लगाने वाले या आबंटिती में निहित नहीं हुई हैं, केन्द्रीय सरकार के लिए और उसकी ओर से भूमि अर्जन कार्यवाहियां जारी रखेंगी;

(घ) नियत तारीख के पश्चात्, यथास्थिति, निहित होने या आबंटन पर, सफल बोली लगाने वाले या आबंटिती की ओर से ऐसी भूमि अर्जन कार्यवाहियों को जारी रखेंगी।

अतिरिक्त उद्ग्रहण की वसूली।

22. यदि अनुसूची 2 कोयला खान का पूर्विक आबंटिती विनिर्दिष्ट समय के भीतर केन्द्रीय सरकार के पास अतिरिक्त उद्ग्रहण को जमा करने में असफल रहता है, तो ऐसे अतिरिक्त उद्ग्रहण की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी।

कतिपय अपराधों के लिए शास्तियां।

23. यदि कोई व्यक्ति—

(क) केन्द्रीय सरकार या अभिहित अभिरक्षक द्वारा अनुसूची 1 कोयला खानों का कब्जा लेने में बाधा या कोई अड़चन डालेगा; या

(ख) ऐसी अनुसूची 1 कोयला खानों और कोयला खनन संक्रियाओं से संबंधित जिसके प्रबंध के लिए अभिहित अभिरक्षक नियुक्त किया गया हो, अपनी अभिरक्षा में की लेखा बहियों, रजिस्टरों या किन्हीं अन्य दस्तावेजों को अभिहित अभिरक्षक को परिदत्त करने में असफल रहेगा; या

(ग) किसी खान अवसंरचना या कोयला स्टाक को नष्ट करेगा या उसका दुरुपयोग करेगा; या

(घ) ऐसी कोयला खान की किसी संपत्ति को प्रतिधारित करेगा या उसे हटाएगा या नष्ट करेगा,

तो वह और कंपनी का कोई व्यतिक्रमी अधिकारी, अपराध की प्रकृति पर निर्भर रहते हुए, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या न्यूनतम एक लाख रुपए प्रतिदिन के जुर्माने से और असफलता जारी रहने की दशा में, प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, अधिकतम दो लाख रुपए के जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।

केन्द्रीय सरकार के निदेशों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति।

24. यदि कोई व्यक्ति बिना किसी युक्तियुक्त कारण के केन्द्रीय सरकार या नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी या अभिहित अभिरक्षक द्वारा दिए गए निदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगा, तो वह, अपराध की प्रकृति पर निर्भर रहते हुए, एक लाख रुपए के जुर्माने से और असफलता के जारी रहने की दशा में प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, प्रतिदिन अधिकतम दो लाख रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा।

कंपनियों द्वारा अपराध।

25. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्‌नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक,सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्‌नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

अपराधों का संज्ञान।

26. कोई न्यायालय, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, केन्द्रीय सरकार या नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी या अभिहित अभिरक्षक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किए गए लिखित परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नहीं।

विवाद का निपटारा और सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन।

27. (1) केंद्रीय सरकार, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी या संदाय आयुक्त या अभिहित अभिरक्षक की किसी कार्रवाई से उद्‌भूत किसी विवाद या सफल बोली लगाने वाले या आबंटिती और पूर्विक आबंटिती के बीच अधिनियम से संबंधित किसी विवाद्यक से उद्‌भूत किसी विवाद का न्यायनिर्णयन कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन
1957 का 2 और विकास) अधिनियम, 1957 के अधीन गठित अधिकरण द्वारा किया जाएगा।

(2) जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि अधिनियम से संबंधित किसी विवाद्यक से उद्‌भूत कोई विवाद विद्यमान है या उसकी आशंका है और उस विवाद का न्यायनिर्णयन उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए वहां केंद्रीय सरकार, लिखित आदेश द्वारा ऐसे विवाद या विवाद से संबंधित या उससे सुसंगत प्रतीत होने वाले किसी विषय को न्यायनिर्णयन के लिए अधिकरण को निर्दिष्ट कर सकेगी।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकरण, विवाद के पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् विवाद के संस्थित या निर्दिष्ट किए जाने से नब्बे दिन की अवधि के भीतर लिखित अधिनिर्णय करेगा।

(4) इस अधिनियम के प्रारंभ से ही उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के सिवाय किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण को अधिनियम से संबंधित विषयों के संबंध में कोई भी अधिकारिता, शक्ति या प्राधिकार नहीं होगा या वह किसी अधिकारिता, शक्ति या प्राधिकरण का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

28. जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या किए जाने के लिए आशयित किसी ऐसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई केंद्रीय सरकार, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, संदाय आयुक्त, अभिहित अभिरक्षक या उनकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं की जाएगी।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

29. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या ऐसी किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

अनुसूची 4 में अंतर्विष्ट कतिपय अधिनियमों का संशोधन।

30. इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से ही कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 1973 का 26
और खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की अनुसूची 4 में उपबंधित रीति में 1957 का 67
संशोधित हो जाएंगे।

नियम बनाने की शक्ति।

31. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अनुसूची 1 कोयला खानों की लोक नीलामी द्वारा आबंटन की रीति और फीस के ब्यौरे;

(ख) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा मंजूर करने के निबंधन और शर्तें तथा प्रतिस्पर्धी बोली की रीति और शर्तें;

(ग) धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन किसी नीलामी में बोली लगाने हेतु पात्र होने के मानक और कोयला अनुबंध रखने वाली किसी कंपनी की बाबत विनिधान की रकम;

(घ) वह अवधि जिसके भीतर धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन पूर्विक आबंटिती द्वारा अतिरिक्त उद्ग्रहण का संदाय किया जाएगा;

(ङ) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन सरकारी कंपनी या निगम को आबंटन किए जाने के लिए आबंटन आदेश;

(च) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी की शक्तियां;

(छ) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन अनुसूची 1 कोयला खानों की नीलामी या आबंटन करने और निधान या आबंटन आदेशों के निष्पादन की रीति;

(ज) धारा 6 की उपधारा (6) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृंद के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(झ) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन नीलाम की जाने वाली अनुसूची 1 कोयला खानों की विशिष्टियों को अधिसूचित करने और पूर्विक आबंटितियों द्वारा अपेक्षित सूचना देने की रीति;

(ञ) धारा 8 की उपधारा 3 के अधीन नीलामी का संचालन करने और निधान आदेश तैयार करने की रीति;

(ट) धारा 8 की उपधारा (5) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निकटतम मूल्य का अवधारण;

(ठ) धारा 8 की उपधारा (6) के अधीन बैंक प्रत्याभूति देने का प्ररूप और रीति तथा समय जिसके भीतर ऐसी बैंक प्रत्याभूति दी जाएगी;

(ड) धारा 9 के अधीन पूर्विकता संदायों के संवितरण की रीति;

(ढ) धारा 10 की उपधारा (5) के पहले परंतुक के अधीन पूर्विक आबंटिती या तृतीय पक्षकार, जिसने जंगम संपत्ति के लिए पूर्विक आबंटिती के साथ संविदा की है, द्वारा जंगम संपत्ति पर हक स्थापित करने की रीति;

(ण) धारा 10 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अधीन जंगम संपत्ति के विक्रय आगमों से प्रतिकर प्राप्त करने की रीति;

(त) वह रीति जिसमें धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन किसी पूर्विक आबंटिती की बाबत प्रतिकर में से प्रतिभूत लेनदार को संदाय किया जाएगा;

(थ) धारा 14 की उपधारा (5) के अधीन अनुसूची 2 कोयला खानों के पूर्विक आबंटितियों से केन्द्रीय सरकार द्वारा अतिरिक्त उद्ग्रहण के संग्रहण की रीति;

(द) धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन संदाय आयुक्त और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृंद के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ध) धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन पूर्विक आबंटिती को संदेय प्रतिकर के अवधारण और नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख को निविष्ट करने की रीति;

(न) धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन अनुसूची 1 के संबंध में खान अवसंरचना के लिए प्रतिकर के अवधारण की पद्धति और उसका कानूनी रूप से संपरीक्षित तुलनपत्र में दिया जाना;

(प) धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन अभिहित अभिरक्षक द्वारा किसी अनुसूची 2 कोयला खानों के प्रबंध और प्रचालन के अंतरण की रीति;

(फ) धारा 19 की उपधारा (7) के अधीन अभिहित अभिरक्षक द्वारा अधिकार, दायित्व और बाध्यताओं के प्रयोग और निर्वहन की रीति;

(ब) धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोगों के लिए खनन किए गए कोयले के अधिकतम उपयोग के लिए करार या ठहराव उपबंधित करने की रीति;

(भ) धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन सफल बोली लगाने वाले या आबंटिती द्वारा अपने संयंत्रों में से किसी संयंत्र के लिए कोयला खान के उपयोग की रीति;

(म) कोई अन्य विषय जो अपेक्षित हो या जो विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, बनाए जाने और जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा/रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा/होगी। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए या अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा/जाएगी। किन्तु नियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

32. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परंतु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन और व्यावृत्ति।

33. (1) कोयला खान (विशेष उपबंध) दूसरा अध्यादेश, 2014 निरसित किया जाता है। 2014 का अध्यादेश संख्यांक 7

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई उच्चतम न्यायालय के, 2012 की रिट याचिका (दांडिक) सं॰ 120 में पारित तारीख 25 अगस्त, 2014 के निर्णय और तारीख 24 सितंबर, 2014 के उसके आदेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएंगी।

अनुसूची 1

[धारा 3 (1) (त) देखें]

क्र० सं०	कोयला खान/ब्लॉक का नाम	पूर्विक आबंटिती का नाम	राज्य जहां कोयला खान/ब्लॉक स्थित है
1	2	3	4
1.	तांडीचेरला-I	आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड	तेलंगाना
2.	अनेस्तीपाली	आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड	तेलंगाना
3.	पुंकुला-चिल्का	आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड	तेलंगाना
4.	पेनगाडप्पा	आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड	तेलंगाना
5.	नामचिक नामफुक	अरुणाचल प्रदेश खनिज विकास और व्यापार निगम	अरुणाचल प्रदेश
6.	सायंग	एईएस छत्तीसगढ़ एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ़
7.	राजगमर डिपसाइड (देवनारा)	एपीआई इस्पात एंड पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड, सीजी स्पांज निर्माता कंसोर्टियम कोलफील्ड प्राइवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ़
8.	दुर्गापुर-II/ताराईमार	भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड	छत्तीसगढ़
9.	दातिमा	बिनानी सीमेंट लिमिटेड	छत्तीसगढ़
10.	तारा	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	छत्तीसगढ़
11.	गारे पालमा, सेक्टर-I	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	छत्तीसगढ़
12.	शंकरपुर भटगांव-II विस्तार	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	छत्तीसगढ़
13.	सोंधिया	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	छत्तीसगढ़
14.	परसा	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड	छत्तीसगढ़
15.	विजय सेंट्रल	कोल इंडिया लिमिटेड, एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड	छत्तीसगढ़
16.	गिधमूरी	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड	छत्तीसगढ़
17.	पतूरिया	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड	छत्तीसगढ़
18.	दुर्गापुर-II/सरया	डीबी पावर लिमिटेड	छत्तीसगढ़
19.	भास्करपारा	इलेक्ट्रोथर्म (इंडिया) लिमिटेड, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	छत्तीसगढ़
20.	वेस्ट ऑफ उमरिया	सैनिक फाइनेंस एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पूर्व में गरुड़ क्लेज लिमिटेड)	छत्तीसगढ़
21.	मोरगा-II	गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	छत्तीसगढ़
22.	गारे पालमा सेक्टर-III	गोवा औद्योगिक विकास निगम	छत्तीसगढ़

1	2	3	4
23.	मदनपुर साउथ	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, अक्षय इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टील एंड पावर लिमिटेड, छत्तीसगढ़ विद्युत निगम लिमिटेड, एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड, छत्तीसगढ़ कैप्टिव कोल माइनिंग लिमिटेड (पांच कंपनियों का संकाय)	छत्तीसगढ़
24.	नाकिया-I	इस्पात गोदावरी लिमिटेड, इंड एग्रो सिनर्जी लिमिटेड, श्री नाकोडा इस्पात लिमिटेड, वंदना ग्लोबल लिमिटेड, श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड	छत्तीसगढ़
25.	नाकिया-II	इस्पात गोदावारी, इंड एग्रो सिनर्जी, श्री नाकोडा इस्पात, वंदना ग्लोबल लिमिटेड, श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड	छत्तीसगढ़
26.	गारे-पालमा-IV/4	जयसवाल नेको लिमिटेड	छत्तीसगढ़
27.	गारे-पालमा-IV/8	जयसवाल नेको लिमिटेड	छत्तीसगढ़
28.	गारे-पालमा-IV/2	जिंदल पावर लिमिटेड (अब जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड)	छत्तीसगढ़
29.	गारे-पालमा-IV/3	जिंदल पावर लिमिटेड (अब जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड)	छत्तीसगढ़
30.	गारे-पालमा-IV/1	जिंदल स्ट्रिप्स लिमिटेड (अब जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड)	छत्तीसगढ़
31.	गारे-पालमा-IV/6	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, नलवा स्पांज आयरन लिमिटेड	छत्तीसगढ़
32.	फतेहपुर ईस्ट	जेएलडी यवतमाल एनर्जी लिमिटेड, आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड, वीजा पावर लिमिटेड, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, वंदना विद्युत लिमिटेड	छत्तीसगढ़
33.	मोरगा-I	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड	छत्तीसगढ़
34.	मोरगा-III	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड	छत्तीसगढ़
35.	मोरगा-IV	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड	छत्तीसगढ़
36.	गारे-पालमा सैक्टर-II	महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कारपोरेशन, तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड	छत्तीसगढ़
37.	गारे-पालमा-IV/5	मोनेट इस्पात लिमिटेड	छत्तीसगढ़
38.	राजगमर डिपसाइड (साउथ ऑफ फुलकाडीह नाला)	मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड, टोपवोर्थ स्टील प्राइवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ़
39.	तलाईपाली	नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड	छत्तीसगढ़
40.	चोटिया	प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	छत्तीसगढ़
41.	गारे-पालमा-IV/7	रायपुर एलॉयज एंड स्टील लिमिटेड (अब शारदा एनर्जी एंड मिनरल लिमिटेड)	छत्तीसगढ़
42.	परसा ईस्ट	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल)	छत्तीसगढ़
43.	केसला नार्थ	राठी उद्योग लिमिटेड	छत्तीसगढ़
44.	कांता बासन	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल)	छत्तीसगढ़

1	2	3	4
45.	पंचबहानी	श्री राधे इंडस्ट्रीज लिमिटेड	छत्तीसगढ़
46.	फतेहपुर	एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड, प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	छत्तीसगढ़
47.	मदनपुर (नार्थ)	अल्ट्राटेक लिमिटेड, सिंघल एंटरप्राइज लिमिटेड, नव भारत कोलफील्ड लिमिटेड, वंदना एनर्जी एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अंजनी स्टील प्राइवेट लिमिटेड, छत्तीसगढ़ कैप्टिव कोल माइनिंग लिमिटेड (पांच कंपनी का संकाय)	छत्तीसगढ़
48.	ब्रिन्दा	अभिजीत इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	झारखण्ड
49.	ससई	अभिजीत इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	झारखण्ड
50.	मेराल	अभिजीत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	झारखण्ड
51.	सेरेगरहा	आर्सेलर मित्तल इंडिया लिमिटेड जीवीके पावर (गोंविदवाल साहिब) लिमिटेड	झारखण्ड
52.	पटल ईस्ट	भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड	झारखण्ड
53.	सरिया कोरियाटांड	बिहार राज्य खनिज विकास निगम (बीआरकेवीएन) पटना	झारखण्ड
54.	मछेरकुंदा	बिहार स्पांज आयरन लिमिटेड	झारखण्ड
55.	ब्रह्माडीहा	कास्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	झारखण्ड
56.	महुआगढ़ी	कोलकाता विद्युत आपूर्ति निगम लिमिटेड (सीईएससी), जैस इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड	झारखण्ड
57.	चितारपुर	कॉरपोरेट इस्पात एलॉयज लिमिटेड	झारखण्ड
58.	साहरपुर जमरपानी	दामोदर घाटी निगम	झारखण्ड
59.	लालगढ़ (नार्थ)	डोम्को स्मोकलैस फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड	झारखण्ड
60.	पर्बतपुर-सेंट्रल	इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लिमिटेड	झारखण्ड
61.	चकला	एस्सार पावर लिमिटेड	झारखण्ड
62.	अशोक कैरकटा सेंट्रल	एस्सार पावर लिमिटेड	झारखण्ड
63.	जयनगर	गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन (जीएमडीसी)	झारखण्ड
64.	तोकीसूद नार्थ	जीवीके पावर (गोंविदवाल साहिब) लिमिटेड	झारखण्ड
65.	तूबेड	हिंडाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	झारखण्ड
66.	मोइत्रा	जयसवाल नेको लिमिटेड	झारखण्ड
67.	नार्थ ढाडू	झारखण्ड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, पवनजय स्टील एंड पावर लिमिटेड, इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग्स लिमिटेड, आधुनिक एलॉयज एंड पावर लिमिटेड	झारखण्ड
68.	बनहारडीह	झारखण्ड स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड	झारखण्ड
69.	सूगिया क्लोज्ड खान	झारखण्ड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	झारखण्ड
70.	राउता क्लोज्ड खान	झारखण्ड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	झारखण्ड

1	2	3	4
71.	बुराखाप स्माल पैच	झारखण्ड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	झारखण्ड
72.	पिंद्रा-देबीपुर-खाउवाटांड	झारखण्ड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	झारखण्ड
73.	लातेहार	झारखण्ड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	झारखण्ड
74.	पतरातू	झारखण्ड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	झारखण्ड
75.	राबोडीह ओसीपी	झारखण्ड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	झारखण्ड
76.	जोगेश्वर और खास जोगेश्वर	झारखण्ड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	झारखण्ड
77.	जीतपुर	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	झारखण्ड
78.	अमरकोंडा मुर्गादंगल	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, गगन स्पान्ज आयरन प्राइवेट लिमिटेड	झारखण्ड
79.	उर्मा पहारीतोला	झारखण्ड स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड, बिहार स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन निगम लिमिटेड	झारखण्ड
80.	रोहने	जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड, जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	झारखण्ड
81.	गोमिया	मैटल एण्ड मिनरल ट्रैडिंग कारपोरेशन निगम	झारखण्ड
82.	राजहरा नार्थ (मध्य व पूर्वी)	मुकुंद लिमिटेड, विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड	झारखण्ड
83.	डुमरी	नीलाचल आयरन एंड पावर लिमिटेड, बजरंग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड	झारखण्ड
84.	केरनदारी	नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड	झारखण्ड
85.	चट्टी बरिअतू	नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड	झारखण्ड
86.	चट्टी बरिअतू साउथ	नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड	झारखण्ड
87.	ब्राहिमनी	नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड + कोल इंडिया लिमिटेड जेवी	झारखण्ड
88.	चिचरो पतसीमल	नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड + कोल इंडिया लिमिटेड जेवी	झारखण्ड
89.	पचवारा सेंट्रल	पंजाब स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड	झारखण्ड
90.	महल	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	झारखण्ड
91.	तेनूघाट-झिरकी	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	झारखण्ड
92.	बुंदू	रूंगटा माइन्स लिमिटेड	झारखण्ड
93.	मेदनीराय	रूंगटा माइन्स लिमिटेड, कोहिनूर स्टील (पी) लिमिटेड	झारखण्ड
94.	चोरीतांद तिल्लिया	रूंगटा माइन्स लिमिटेड, सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	झारखण्ड
95.	सीतानाला	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड	झारखण्ड
96.	गनेशपुर	टाटा स्टील लिमिटेड, आधुनिक थर्मल एनर्जी	झारखण्ड
97.	बदम	तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड	झारखण्ड

1	2	3	4
98.	राजबर ई एंड डी	तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड	झारखण्ड
99.	गोंदुलपाड़ा	तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड, दामोदर घाटी निगम	झारखण्ड
100.	कोतरे-बसंतपुर	टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (अब टाटा स्टील लिमिटेड)	झारखण्ड
101.	पचमो	टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (अब टाटा स्टील लिमिटेड)	झारखण्ड
102.	लोहारी	उषा मार्टिन लिमिटेड	झारखण्ड
103.	कथौटिया	उषा मार्टिन लिमिटेड	झारखण्ड
104.	पचवारा नार्थ	वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	झारखण्ड
105.	सुलियारी	आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	मध्य प्रदेश
106.	बिक्रम	बिरला कारपोरेशन लिमिटेड	मध्य प्रदेश
107.	गोतितोरिया (ईस्ट)	बीएलए इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	मध्यप्रदेश
108.	गोतितोरिया (वेस्ट)	बीएलए इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	मध्य प्रदेश
109.	महन	एस्सार पावर लिमिटेड, हिंडाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	मध्य प्रदेश
110.	मंडला नार्थ	जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड	मध्य प्रदेश
111.	उर्तन नार्थ	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड	मध्य प्रदेश
112.	थेसगोरा-बा/रूद्रापुरी	कमल स्पांज स्टील एंड पावर लिमिटेड, रेवती सीमेंट पी॰ लिमिटेड	मध्य प्रदेश
113.	अमेलिया	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन	मध्य प्रदेश
114.	अमेलिया (नार्थ)	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन	मध्य प्रदेश
115.	मंडला साउथ	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड	मध्य प्रदेश
116.	डोंगरी ताल-II	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एमपीएसएमसी)	मध्य प्रदेश
117.	मरकी बारका	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन (एमपीएसएमसी)	मध्य प्रदेश
118.	सेमरिया/पिपरिया	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन (एमपीएसएमसी)	मध्य प्रदेश
119.	बिचारपुर	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एमपीएसएमसी)	मध्य प्रदेश
120.	तांडसी-III और तांडसी-III (एक्सटेंशन)	मिडईस्ट इन्टीग्रेटिड स्टील्स लिमिटेड	मध्य प्रदेश
121.	शाहपुर ईस्ट	नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	मध्य प्रदेश
122.	शाहपुर वेस्ट	नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	मध्य प्रदेश
123.	मारा II महन	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा पावर जेनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीजीसीएल)	मध्य प्रदेश
124.	सियाल घोघरी	प्रिज्म सीमेंट लिमिटेड	मध्य प्रदेश

1	2	3	4
125.	ब्रह्मपुरी	पुष्प स्टील एंड माइनिंग लिमिटेड	मध्य प्रदेश
126.	रावनवारा नार्थ	एसकेएस इस्पात लिमिटेड	मध्य प्रदेश
127.	बंदेर	एएमआर आयरन एंड स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जेके सीमेंट लिमिटेड	महाराष्ट्र
128.	मरकी मंगली-I	बी एस इस्पात लिमिटेड	महाराष्ट्र
129.	तकली-जेना-बेल्लोरा (नार्थ) और तकली-जेना-बेल्लोरा (साउथ)	केन्द्रीय कोलियरीज कंपनी लिमिटेड और लायड्स मेटल्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड	महाराष्ट्र
130.	दाहेगांव-मकरधोकरा-IV	आईएसटी स्टील एंड पावर लिमिटेड, गुजरात अंबुजा लिमिटेड, लाफार्ज इंडिया प्राइवेट सीमेंट लिमिटेड	महाराष्ट्र
131.	गोंदखारी	महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड, धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड, केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	महाराष्ट्र
132.	मरकी-ज़री-जमानी-अदकोली	महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड	महाराष्ट्र
133.	लोहरा (ईस्ट)	मुरली इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ग्रेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	महाराष्ट्र
134.	खप्पा और विस्तार	सनफ्लैग आयरन एंड स्टील लिमिटेड, डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड	महाराष्ट्र
135.	लोहरा वेस्ट विस्तार	अदानी पावर लिमिटेड	महाराष्ट्र
136.	वरोरा वेस्ट (नार्थ)	भाटिया इंटरनेशनल लिमिटेड	महाराष्ट्र
137.	कोसर डोंगेरगांव	चमन मेटालिक्स लिमिटेड	महाराष्ट्र
138.	वरोरा (वेस्ट) दक्षिणी भाग	फील्डमाइनिंग एंड इस्पात लिमिटेड	महाराष्ट्र
139.	चिनोरा	फील्डमाइनिंग एंड इस्पात लिमिटेड	महाराष्ट्र
140.	माजरा	गोंडवाना इस्पात लिमिटेड	महाराष्ट्र
141.	नेराद मालेगांव	गुप्ता मेटालिक्स एंड पावर लिमिटेड, गुप्ता कोलफील्ड्स और वाशेरिज़ लिमिटेड	महाराष्ट्र
142.	बरांज-I	कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	महाराष्ट्र
143.	बरांज-II	कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	महाराष्ट्र
144.	बरांज-III	कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	महाराष्ट्र
145.	बरांज-IV	कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	महाराष्ट्र
146.	किलोनी	कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	महाराष्ट्र
147.	मनोरा डीप	कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	महाराष्ट्र
148.	अग्रज़री	महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड(एमएसएमसीएल)	महाराष्ट्र
149.	वरोरा	महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कारपोरेशन (एमएसएमसीएल)	महाराष्ट्र
150.	भंदक वेस्ट	श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड	महाराष्ट्र

1	2	3	4
151.	मरकी मंगली–II	श्री वीरांगना स्टील लिमिटेड	महाराष्ट्र
152.	मरकी मंगली–III	श्री वीरांगना स्टील लिमिटेड	महाराष्ट्र
153.	मरकी मंगली–IV	श्री वीरांगना स्टील लिमिटेड	महाराष्ट्र
154.	बेलगांव	सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	महाराष्ट्र
155.	मंदाकनी बी	असम मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मेघालय मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, तमिलनाडु बिजली बोर्ड, ओडिशा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड	ओडिशा
156.	न्यू पात्रपारा	भूषण स्टील एंड स्ट्रिप्स लिमिटेड, आधुनिक मेटालिक्स लिमिटेड, दीपक स्टील एंड पावर लिमिटेड, आधुनिक कारपोरेशन लिमिटेड, उड़ीसा स्पांज आयरन लिमिटेड, एसएमसी पावर जनरेशन लिमिटेड, श्री मेटालिक्स लिमिटेड, वीजा स्टील लिमिटेड	ओडिशा
157.	बिजहान	भूषण लिमिटेड, श्री महावीर फेरो एलायज प्राइवेट लिमिटेड	ओडिशा
158.	जमखानी	भूषण लिमिटेड	ओडिशा
159.	नैनी	गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, पांडिचेरी	ओडिशा
		इंडस्ट्रीयल प्रमोशन डेवलपमेंट एण्ड इनवेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	ओडिशा
160.	महानदी	गुजरात स्टेट इलैक्ट्रीसिटी कारपोरेशन लिमिटेड, महाराष्ट्र स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड	ओडिशा
161.	मच्छाकाटा	गुजरात स्टेट इलैक्ट्रीसिटी कारपोरेशन लिमिटेड, महाराष्ट्र स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड	ओडिशा
162.	तालाबीरा–I	हिडाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	ओडिशा
163.	रामचंडी प्रोमोशन ब्लाक	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	ओडिशा
164.	उत्कल बी I	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	ओडिशा
165.	बेतरनी वेस्ट	केरल स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड, ओडिशा हाइड्रो पावर कारपोरेशन, गुजरात पावर कारपोरेशन लिमिटेड,	ओडिशा
166.	तालाबीरा–II एवं III	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड,हिंडाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	ओडिशा
167.	उत्कल–ए	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), जेएसडब्ल्यू स्टील्स लिमिटेड, जिंदल थर्मल पावर कंपनी, लिमिटेड, जिंदल स्टेनलेस स्टील्स लिमिटेड, श्याम डीआरआई लिमिटेड	ओडिशा
168.	उत्कल–बी 2	मोनेट इस्पात लिमिटेड	ओडिशा
169.	मंदाकिनी	मोनेट इस्पात एनर्जी लिमिटेड, जिंदल फोटो लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	ओडिशा
170.	उत्कल–'ई'	राष्ट्रीय एल्यूमिनियम निगम	ओडिशा
171.	दुलंगा	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन	ओडिशा
172.	उत्कल–डी	ओडिशा माइनिंग कारपोरेशन	ओडिशा

1	2	3	4
173.	नौगांव तेलीसाही	ओडिशा माइनिंग कारपोरेशन, आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट (एपीएमडीसी)	ओडिशा
174.	मनोहरपुर	ओडिशा पावर जेनरेशन कारपोरेशन	ओडिशा
175.	डिपसाइड मनोहरपुर	ओडिशा पावर जेनरेशन कारपोरेशन	ओडिशा
176.	राधिकापुर (वेस्ट)	रूंगटा माइन्स लिमिटेड, ओसीएल इंडिया लिमिटेड, ओसिएन इस्पात लिमिटेड	ओडिशा
177.	रामपिया	स्टरलाइट एनर्जी लिमिटेड, (आईपीपी), जीएमआर एनर्जी लिमिटेड, (आईपीपी), आर्सेलर मित्तल इंडिया लिमिटेड, (सीपीपी), लैंको ग्रुप लिमिटेड (आईपीपी), नवभारत पावर प्राइवेट लिमिटेड, (आईपीपी), रिलायंस एनर्जी लिमिटेड (आईपीपी)	ओडिशा
178.	रामपिया की डिपसाइड	स्टरलाइट एनर्जी लिमिटेड, (आईपीपी), जीएमआर एनर्जी (आईपीपी), आर्सेलर मित्तल इंडिया लिमिटेड, (सीपीपी), लैंको समूह लिमिटेड (आईपीपी), नवभारत पावर प्राइवेट लिमिटेड, (आईपीपी), रिलायंस एनर्जी लिमिटेड (आईपीपी)	ओडिशा
179.	अर्खापाल श्रीरामपुर के नार्थ	स्ट्रेटजिक एनर्जी टेक्नालाजी सिस्टम्स लिमिटेड (एसईटीएसएल)	ओडिशा
180.	राधिकापुर (ईस्ट)	टाटा स्पांज आयरन लिमिटेड, स्काव इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एसपीएस स्पांज आयरन लिमिटेड	ओडिशा
181.	चेंदीपाडा	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपपेंट कारपोरेशन लिमिटेड, महाराष्ट्र स्टेट इलैक्ट्रीसिटी जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड	ओडिशा
182.	चेंदीपाडा-II	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, महाराष्ट्र स्टेट इलैक्ट्रीसिटी जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड	ओडिशा
183.	उत्कल-सी	उत्कल कोल लिमिटेड (पूर्व में आईसीसीएल)	ओडिशा
184.	बिहारीनाथ	बांकुरा डीआरआई खनन निर्माता कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल
185.	आनदल ईस्ट	भूषण स्टील लिमिटेड, जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रशमी सीमेंट लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल
186.	बरजोरा (नार्थ)	दामोदर घाटी निगम	पश्चिमी बंगाल
187.	कागरा जोयदेव	दामोदर घाटी निगम	पश्चिमी बंगाल
188.	कास्ता (ईस्ट)	दामोदर घाटी निगम	पश्चिमी बंगाल
189.	गौरंगडीह एबीसी	हिमाचल ईएमटीए पावर लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल
190.	मोइरा-मधुजोरे	रामस्वरूप लौह उद्योग लिमिटेड, आधुनिक कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तम गल्वा स्टील्स लिमिटेड, हावड़ा गैसिस लिमिटेड, विकास मेटल एंड पावर लिमिटेड, एसीसी लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल

1	2	3	4
191.	सरीसातोल्ली	कोलकाता इलैक्ट्रीसिटी सप्लाई कारपोरेशन लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल
192.	अर्धग्राम	सोवा इस्पात लिमिटेड, जय बालाजी स्पांज लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल
193.	तारा (वेस्ट)	वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	पश्चिमी बंगाल
194.	गंगारामचक	वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	पश्चिमी बंगाल
195.	बरजोरा	वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	पश्चिमी बंगाल
196.	गंगारामचक-भदुलिया	वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	पश्चिमी बंगाल
197.	तारा (ईस्ट)	वेस्ट बंगाल स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड	पश्चिमी बंगाल
198.	जगन्नाथपुर बी	वेस्ट बंगाल मिनरल डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रैडिंग कारपोरेशन लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल
199.	सीतारामपुर	वेस्ट बंगाल मिनरल डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रैडिंग कारपोरेशन लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल
200.	ट्रांस दामोदर	वेस्ट बंगाल मिनरल डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रैडिंग कारपोरेशन लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल
201.	इच्छापुर	वेस्ट बंगाल मिनरल डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रैडिंग कारपोरेशन लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल
202.	कुल्टी	वेस्ट बंगाल मिनरल डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रैडिंग कारपोरेशन लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल
203.	जगन्नाथपुर-क	वेस्ट बंगाल मिनरल डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रैडिंग कारपोरेशन लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल
204.	दामोगरिया ईस्ट (कल्याणेश्वरी)	वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	पश्चिमी बंगाल

अनुसूची 2

[धारा 3 (1) (थ) देखिए]

क्रम॰ सं॰	कोयला खान/ब्लॉक का नाम	पूर्विक आबंटिती का नाम	राज्य जहां कोयला खान/ब्लॉक स्थित है
1	2	3	4
1.	नामचिक नामफुक	अरुणाचल प्रदेश मिनरल डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेडिंग कारपोरेशन	अरूणाचल प्रदेश
2.	गारे-पालमा-IV/4	जयसवाल नेको लिमिटेड	छत्तीसगढ़
3.	गारे-पालमा-IV/2	जिंदल पावर लिमिटेड (अब जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड)	छत्तीसगढ़
4.	गारे-पालमा-IV/3	जिंदल पावर लिमिटेड (अब जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड)	छत्तीसगढ़
5.	गारे-पालमा-IV/1	जिंदल स्ट्रिप्स लिमिटेड (अब जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड)	छत्तीसगढ़
6.	गारे-पालमा-IV/5	मोनेट इस्पात लिमिटेड	छत्तीसगढ़
7.	चोटिया	प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	छत्तीसगढ़
8.	गारे-पालमा-IV/7	रायपुर एलॉयज एंड स्टील लिमिटेड (अब सारदा एनर्जी एंड मिनरल लिमिटेड)	छत्तीसगढ़
9.	परसा ईस्ट	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल)	छत्तीसगढ़
10.	कांता बासन	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल)	छत्तीसगढ़
11.	पर्बतपुर-सेंट्रल	इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग्स लिमिटेड	झारखण्ड
12.	तोकीसूद नार्थ	जीवीके पावर (गोविंदवाल साहिब) लिमिटेड	झारखण्ड
13.	पचवारा सेंट्रल	पंजाब स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड	झारखण्ड
14.	कथौटिया	उषा मार्टिन लिमिटेड	झारखण्ड
15.	पचवारा नार्थ	वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	झारखण्ड
16.	गोतितोरिया (ईस्ट)	बीएलए इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	मध्य प्रदेश
17.	गोतितोरिया (वेस्ट)	बीएलए इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	मध्य प्रदेश
18.	मंडला नार्थ	जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड	मध्य प्रदेश
19.	अमेलिया (नार्थ)	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन	मध्य प्रदेश
20.	बिचारपुर	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एमपीएसएमसी)	मध्य प्रदेश
21.	सियाल घोघरी	प्रिज्म सीमेंट लिमिटेड	मध्य प्रदेश
22.	मरकी मंगली-I	बी॰ एस॰ इस्पात लिमिटेड	महाराष्ट्र

1	2	3	4
23.	बरांज-I	कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	महाराष्ट्र
24.	बरांज-II	कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	महाराष्ट्र
25.	बरांज-III	कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	महाराष्ट्र
26.	बरांज-IV	कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	महाराष्ट्र
27.	किलोनी	कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	महाराष्ट्र
28.	मनोरा डीप	कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	महाराष्ट्र
29.	मरकी मंगली-II	श्री वीरांगना स्टील्स लिमिटेड	महाराष्ट्र
30.	मरकी मंगली-III	श्री वीरांगना स्टील्स लिमिटेड	महाराष्ट्र
31.	बेलगांव	सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	महाराष्ट्र
32.	तालाबीरा-I	हिंडाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	ओडिशा
33.	बरजोरा (नार्थ)	दामोदर घाटी निगम	पश्चिमी बंगाल
34.	कागरा जोयदेव	दामोदर घाटी निगम	पश्चिमी बंगाल
35.	सरीसातोल्ली	कोलकाता इलैक्ट्रीसिटी सप्लाई कारपोरेशन लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल
36.	अर्धग्राम	सोवा इस्पात लिमिटेड, जय बालाजी स्पांज लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल
37.	तारा (वेस्ट)	वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	पश्चिमी बंगाल
38.	गंगारामचक	वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	पश्चिमी बंगाल
39.	बरजोरा	वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	पश्चिमी बंगाल
40.	गंगारामचक-भदुलिया	वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	पश्चिमी बंगाल
41.	तारा (ईस्ट)	वेस्ट बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	पश्चिमी बंगाल
42.	ट्रांस दामोदर	वेस्ट बंगाल मिनरल डेवलपमेंट एण्ड ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल

अनुसूची 3

[धारा 3 (1) (द) देखिए]

क्रम॰ सं॰	कोयला खान/ब्लॉक का नाम	पूर्विक आबंटिती का नाम	राज्य जहां कोयला खान/ब्लॉक स्थित है
1	2	3	4
1.	दुर्गापुर-II/ताराईमार	भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड	छत्तीसगढ़
2.	दुर्गापुर-II/सरया	डी बी पावर लिमिटेड	छत्तीसगढ़
3.	गारे-पालमा सेक्टर-III	गोवा इंडस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन	छत्तीसगढ़
4.	गारे-पालमा IV/8	जयसवाल नेको लिमिटेड	छत्तीसगढ़
5.	तलाईपाली	नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड	छत्तीसगढ़
6.	चट्टी बरिअतू	नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड	झारखण्ड
7.	महन	एस्सार पावर लिमिटेड, हिंडाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	मध्य प्रदेश
8.	मंडला साउथ	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड	मध्य प्रदेश
9.	डोंगरी ताल-II	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एमपीएसएमसी)	मध्य प्रदेश
10.	कोसर डोंगरेगांव	चमन मेटालिक्स लिमिटेड	महाराष्ट्र
11.	नेराद मालेगांव	गुप्ता मेटालिक्स एंड पावर लिमिटेड, गुप्ता कोलफील्ड्स एंड वाशेरिज़ लिमिटेड	महाराष्ट्र
12.	मरकी मंगली-IV	श्री वीरांगना स्टील लिमिटेड	महाराष्ट्र
13.	जमखानी	भूषण लिमिटेड	ओडिशा
14.	उत्कल-बी 1	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	ओडिशा
15.	उत्कल-बी 2	मोनेट इस्पात लिमिटेड	ओडिशा
16.	मंदाकिनी	मोनेट इस्पात एनर्जी लिमिटेड, जिंदल फोटो लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	ओडिशा
17.	उत्कल-सी	उत्कल कोल लिमिटेड (ईस्ट में आईसीसीएल)	ओडिशा
18.	वृंदा	अभिजीत इंफ्रास्ट्रकचर प्राइवेट लिमिटेड	झारखण्ड
19.	ससई	अभिजीत इंफ्रास्ट्रकचर प्राइवेट लिमिटेड	झारखण्ड
20.	मेराल	अभिजीत इंफ्रास्ट्रकचर प्राइवेट लिमिटेड	झारखण्ड
21.	मोइत्रा	जयसवाल नेको लिमिटेड	झारखण्ड
22.	जीतपुर	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	झारखण्ड
23.	रोहने	जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड, जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	झारखण्ड

1	2	3	4
24.	डुमरी	नीलाचल आयरन एंड पावर लिमिटेड, बजरंग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड	झारखण्ड
25.	केरनदारी	नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड	झारखण्ड
26.	सीतानाला	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड	झारखण्ड
27.	गणेशपुर	टाटा स्टील लिमिटेड, आधुनिक थर्मल एनर्जी	झारखण्ड
28.	बदम	तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड	झारखण्ड
29.	तारा	छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	छत्तीसगढ़
30.	लोहारी	उषा मार्टिन लिमिटेड	झारखण्ड
31.	दुलंगा	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन	ओडिशा
32.	मनोहरपुर	उड़ीसा पावर जेनरेशन कारपोरेशन	ओडिशा

अनुसूची 4

(धारा 28 देखिए)

भाग क

कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973

(1973 का 26)

धारा 1क का संशोधन।

1. कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1क की उपधारा (1) में "धारा 3 की उपधारा (3) और (4)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात् ", धारा 3क" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे।

नई धारा 3क का अन्त:स्थापन।

2. मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

कंपनी और अन्य द्वारा खनन संक्रियाएं।

'3क. (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई व्यक्ति, जो—

(क) कोई सरकारी कंपनी या निगम या यथास्थिति, ऐसी कंपनी या निगम द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के बीच बनाई गई कोई सह-उद्यम कंपनी है या भारत में निगमित कोई अन्य कंपनी है; या

(ख) दो या अधिक कंपनियों द्वारा सृजित कोई कंपनी या सह-उद्यम कंपनी है,

भारत में कोयला खनन संक्रियाएं यथास्थिति पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अनुसार किसी भी रूप में स्वयं के उपभोग के लिए, विक्रय के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए चला सकेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, ऐसी कोयला खानों का सुव्यवस्थीकरण करने की दृष्टि से, जिससे कि देश की बढ़ती अपेक्षाओं से संगत कोयला संसाधनों का समन्वित और वैज्ञानिक विकास और उपयोग सुनिश्चित हो सके, समय-समय पर, —

(i) कोयला खानों या कोयला धारक क्षेत्र और उनके अवस्थान;

(ii) कोयला खान या कोयला धारक क्षेत्रों का न्यूनतम आकार;

(iii) ऐसी अन्य शर्तें,

विहित कर सकेगी, जो उस सरकार की राय में कोयला खनन संक्रियाओं या किसी कंपनी द्वारा विक्रय हेतु खनन के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

स्पष्टीकरण —इस धारा के प्रयोजनों के लिए "कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में यथा परिभाषित कोई कंपनी अभिप्रेत है।'। 2013 का 18

धारा 34 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) के खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(कक) धारा 3क की उपधारा (2) के अधीन कोयला खानों या कोयला धारक क्षेत्र और उनके अवस्थान, कोयला खान या कोयला धारक क्षेत्रों का न्यूनतम आकार और ऐसी अन्य शर्तें जो कोयला खनन संक्रियाओं, जिनके अन्तर्गत किसी कंपनी द्वारा विक्रय के लिए खनन भी है, के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।"।

भाग ख

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957

(1957 का 67)

1. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 11क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 11क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

'11क. (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार किसी क्षेत्र के संबंध में जिसमें कोयला या लिग्नाइट अन्तर्विष्ट है, भूमिक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा मंजूर करने के प्रयोजन के लिए, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विहित की जाएं, प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से नीलामी द्वारा निम्नलिखित कंपनियों में से किसी का चयन कर सकेगी, अर्थात्:— भूमिक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे का मंजूर किया जाना।

(क) कोई सरकारी कंपनी या निगम या यथास्थिति, ऐसी कंपनी या निगम द्वारा या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के बीच बनाई गई कोई सह-उद्यम कंपनी या भारत में निगमित कोई अन्य कंपनी; या

(ख) दो या अधिक कंपनियों द्वारा बनाई गई कोई कंपनी या सह-उद्यम कंपनी,

जो, भारत में कोयला खनन संक्रियाएं यथास्थिति, अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अनुसार किसी भी रूप में स्वयं के उपभोग के लिए, विक्रय के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए चला सकेंगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोयला और लिग्नाइट खानों का सुव्यवस्थीकरण करने की दृष्टि, जिससे कि देश की बढ़ती अपेक्षाओं से संगत संसाधनों का समन्वित और वैज्ञानिक विकास और उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, समय-समय पर,—

(i) खानों और उनके अवस्थान के ब्यौरे;

(ii) ऐसी खानों का न्यूनतम आकार;

(iii) ऐसी अन्य शर्तें,

विहित कर सकेगी, जो उस सरकार की राय में खनन संक्रियाओं या किसी कंपनी द्वारा विक्रय हेतु खनन के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

(3) राज्य सरकार, किसी ऐसे क्षेत्र के सम्बंध में जिसमें कोयला या लिग्नाइट अंतर्विष्ट है, ऐसी कंपनी को जिसका इस धारा के अधीन प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से या अन्यथा चयन किया गया है, भूमिक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा मंजूर करेगी:

परन्तु इस धारा के अधीन प्रतिस्पर्धी बोली के द्वारा नीलामी किसी ऐसे क्षेत्र को लागू नहीं होगी, जिसमें कोयला या लिग्नाइट अन्तर्विष्ट है—

(क) जहां ऐसे क्षेत्र पर किसी सरकारी कंपनी या निगम या यथास्थिति, ऐसी कंपनी या निगम द्वारा या, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के बीच बनाई गई किसी सह-उद्यम कंपनी को आबंटित करने के लिए विचार किया जाता है;

(ख) ऐसे क्षेत्र पर किसी ऐसी कंपनी या निगम को, जिसे टैरिफ के लिए प्रतिस्पर्धी बोलियों के आधार पर कोई विद्युत परियोजना (जिसके अन्तर्गत अतिबृहत विद्युत परियोजनाएं भी हैं) मंजूर की गई है, आबंटित करने के लिए विचार किया जाता है।

2013 का 18 **स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में यथा परिभाषित कोई कंपनी अभिप्रेत है।'।

धारा 13 का संशोधन।

2. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(घ) धारा 11क की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के निबंधन और शर्तें, खानों और उनके अवस्थानों के ब्यौरे, ऐसी खानों का न्यूनतम आकार और ऐसी अन्य शर्तें, जो कोयला खनन संक्रियाओं के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों, जिसके अन्तर्गत किसी कंपनी द्वारा विक्रय के लिए खनन भी है।''।